न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय हापुड।
उपस्थित :– मृदुल दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6271)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2184/2023

UPHP010049012023

मधुर सक्सैना पुत्र उमेश चंद निवासी मौहल्ला किला खोडा सुनारों वाली गली कस्बा व थाना उझानी जिला बंदायू हाल पता मकान सं0 डी0 67 संजय नगर दुर्गा नगर गौड थाना बारादरी जिला बरेली।

बनाम

सरकार।

मुकदमा अपराध सं0–217/2023
अन्तर्गत धाराः 420, भा0द0स0 एवं 66 डी0 एक्ट
थानाः बाबूगढ़ जिला हापुड़।

आदेश

24.07.2023

अभियुक्त मधुर सक्सैना पुत्र उमेश चंद की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त पर उपरोक्त धाराओं में केस नहीं बनता। मुकदमा वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 17.04.2023 समय 18.30 बजे होना बताया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में रिपोर्ट दर्ज होने का दिनांक 30.06.2023 समय करीब 18.08 बजे है। वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब दो माह तेरह दिन की देरी से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी के मोबाईल नंबर को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हैक करके उक्त अपराध किया है। उक्त केस में प्रार्थी/ अभियुक्त को पुलिस ने फर्जी रूप से अभियुक्त बनाकर फंसाया है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। अभियुक्त को अन्य मुकदमें से बी–वारंट पर तलब किया गया है। अभियुक्त दिनांक 30.06.2023 से जिला कारागार में निरूद्व है। उक्त आधारों पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान विचारण अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया है।

इसके विपरीत अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क किया कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी ।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी रवि पुत्र श्री विजयपाल सिंह निवासी ग्राम मुदाफरा थाना बाबूगढ जिला हापुड का रहने वाला है। प्रार्थी का लडका हरेन्द्र बाल अपचारी थाना बाबूगढ के मुकदमा अपराध संख्या 128/2023 अंतर्गत धारा 9 (1) (क) व 25/ 2 आयुध अधिनियम में बच्चा जेल में बुलन्दशहर में बंद है। दिनांक 17.04.2021 की शाम 6.30 बजे हमारे वकील अमित कौशिक ने बताया कि उनके मोबाईल पर एक व्यक्ति का मोबाईल नंबर 9458694479 से फोन आया है। कॉलर अपने आप को बुलन्दशहर बच्चा जेल से बता रहा था और

Digitally signed by
Mridul Dubey
Date: 2023.07.24
16:27:54 IST
Reason: B O
Location: District and
Sessions Court hapur

उसने कहा कि तुम्हारे कलाईंट का लडका हरेन्द्र सीडियों से गिर गया है। उसे काफी गंभीर चोटे आई हैं। उसके पिता से बात करा दो बच्चे का इलाज चल रहा है। जिसको दो यूनिट खून की सख्त जरूरत है। वकील के द्वारा बताये नंबर पर उसके द्वारा कॉल की गयी तो उसने भी उसे वहीं बताया जो वकील साहब को बतायी थी। तथा उसे एक बार कोड भेजा जिस पर अपने मोबाईल नंबर से फोन पे के माध्यम से 11320/– रूपये भेज दिये। जिसकी ट्रांजक्शन आई0डी0 230417184738564560361 2 नाम अनुराग श्री वास्तव पर ट्रांसफर कर दिये, बाद में उसे पता चला कि उसके पुत्र हरेन्द्र के साथ कोई घटना नहीं हुई है। बल्कि उसके साथ ठगी हो गयी है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिशीलन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त पर झूठा फोन करवाकर 11320/– रूपये खाते में प्राप्त करने का आरोप है। वह खाता जिसमें कि वादी मुकदमा द्वारा पैसे डाले गये हैं, वह खाता अभियुक्त के नाम पर नहीं है, ना ही विवेचक द्वारा कोई साक्ष्य दाखिल किया नहीं गया है, जिससे की उस खाते का संबंध अभियुक्त से होना प्रतीत हो। विवेचक द्वारा ऐंसा भी कोई साक्ष्य इस स्तर पर संकलित नहीं किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा उस खाते में जमा की गयी धनराशि का उपयोग किया गया हो। अभियुक्त के पास से एक अदद मोबाईल फोन व 1500/– रूपये बरामद किये गये है, जो कि साक्ष्य का विषय है। सी0डी0 का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के द्वारा घटना को स्वीकार किया जाना बताया है। पुलिस के सामने जूर्म स्वीकार किया जाना साक्ष्य मे ग्राहय नहीं है। प्रकरण में अधिकतम सजा सात वर्ष तक की है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 30.06.2023 से जिला कारागार में निरूद्व है। अभियुक्त को बी–वारंट पर जिला कारागार से तलब किया गया है। इस प्रकार ऐसे में **माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर सतेन्द्र कुमार अनटिल बनाम सी0बी0आई0 व अन्य (2021) 10 एस0सी0सी0 773 में प्रतिपादित सिंद्वातों** के अनुसार तथा मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों में, मेरिट पर बिना कोई मत दिये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर सशर्त मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अस्तु आवेदक/अभियुक्त मधुर सक्सैना पुत्र उमेश चंद की जमानत उपरोक्त मामले में स्वीकार की जाती है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर अंकनः 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र इसी धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा किया है–

1. अभियुक्त दौरान विचारण एवं विवेचना किसी भी साक्षी को डरायेगा धमकायेगा नही, न ही किसी भी तरह से प्रभावित करेगा।

2. अभियुक्त दौरान विचारण पत्रावली निस्तारण करने में समुचित सहयोग प्रदान करेगा और प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(मृदुल दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय
हापुड।